भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1199
दिनांक 30 जुलाई, 2024 / 8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आग की घटनाएं

†1199. श्री गौरव गोगोईः
श्री शफी परम्बिलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से देश में आग की घटनाओं के कारण हुई मौतों की संख्या वर्ष – वार कितनी है;

(ख) देश में कुल अग्निशमन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या तथा उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का आपात स्थितियों से निपटने के लिए कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं को उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): अग्निशमन सेवाएं राज्य का एक विषय है और इसे भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 (ब) में नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें और आग की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने और सुसज्जित करने के लिए आवश्यक उपाय करें।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199, दिनांक 30.07.2024

केंद्र सरकार राज्यों में अग्नि दुर्घटनाओं / घटनाओं, अग्निशमन केंद्रों / अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या आदि से संबंधित डेटा को केंद्रीय रूप से नहीं रखती है। हालाँकि, वर्ष 2014 के बाद से देश में आग की घटनाओं और उससे होने वाली मौतों के बारे में राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को रिपोर्ट किया गया आँकड़ा संलग्नक-I में है। दिनांक 31.12.2018 तक देश में राज्यवार अग्निशमन केंद्रों की कुल संख्या संलग्नक-II में दी गई है। महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड) ने देश में अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए अग्नि खतरा और जोखिम विश्लेषण करने के लिए मेसर्स आरएमएसआई को नियुक्त किया था, जिसने वर्ष 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दिनांक 31.12.2018 तक उपलब्ध कर्मचारियों की कुल संख्या और आरएमएसआई रिपोर्ट में उल्लिखित कर्मचारियों की आवश्यकता का ब्यौरा संलग्नक-III में है।

(घ) और (ङ): अग्निशमन सेवा के राज्य का विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की क्षमता और उपकरणों की आवश्यकता में वृद्धि पर विचार करें।

तथापि पंद्रहवें वित्त आयोग ने देश में अग्निशमन सेवाओं के लिए संसाधनों और उपकरणों की कमी को ध्यान में रखते हुए और अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, राज्य में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की है। इसलिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 04.07.2023 को 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की है।

योजना में शामिल उपाय में नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के साथ-साथ राज्यों द्वारा आधुनिक अग्निशमन उपकरणों/वाहनों की खरीद के प्रावधान हैं। विस्तृत योजना वेब साइट https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है।

संलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199, दिनांक 30.07.2024

वर्ष 2014 से देश में आग लगने की घटनाएं

(राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को सूचित)

वर्ष	संख्या	
	घटनाएं	मृत
2014	20377	19513
2015	18450	17700
2016	16695	16900
2017	13397	13159
2018	13099	12748
2019	11037	10915
2020	9329	9110
2021	8491	8348
2022	7566	7435

संलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199, दिनांक 30.07.2024

राज्यों/संघशासित प्रदेशों में दिनांक 31.12.2018 तक उपलब्ध अग्निशमन केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	अग्निशमन केंद्रों (संख्या में)
1.	अंडमान एवं निकोबार	24
2.	आंध्र प्रदेश	251
3.	अरुणाचल प्रदेश	19
4.	असम	124
5.	बिहार	107
6.	चंडीगढ़	7
7.	छतीसगढ़	33
8.	दादरा और नगर हवेली *	1
9.	दमन और दीव *	3
10.	दिल्ली	53
11.	गोवा	15
12.	गुजरात	183
13.	हरियाणा	82
14.	हिमाचल प्रदेश	25
15.	जम्मू और कश्मीर #	175
16.	झारखंड	33
17.	कर्नाटक	195
18.	केरल	100
19.	लक्षद्वीप	4
20.	मध्य प्रदेश	292
21.	महाराष्ट्र	157
22.	मणिपुर	16
23.	मेघालय	36
24.	मिज़ोरम	12
25.	नागालैंड	13
26.	ओडिशा	340
27.	पुडुचेरी	13
28.	पंजाब	48
29.	राजस्थान	126
30.	सिक्किम	10
31.	तमिलनाडु	315
32.	तेलंगाना	95
33.	त्रिपुरा	40
34.	उत्तर प्रदेश	253
35.	उत्तराखंड	35
36.	पश्चिम बंगाल	142

* दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पूर्व के दो संघ शासित प्रदेशों अर्थात दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के माध्यम से गठित अब एक संघ शासित प्रदेश है।

पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य अब दो संघ शासित प्रदेशों, अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में गठित किया गया है।

संलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199, दिनांक 30.07.2024

आरएमएसआई रिपोर्ट, 2012 के अनुसार अग्निशमन कर्मचारियों की आवश्यकता की तुलना में 31.12.2018 तक अग्निशमन कर्मचारियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	कार्मिकों की संख्या	आरएमएसआई रिपोर्ट 2012 केअनुसारआवश्यकता
1.	अंडमान एवं निकोबार	522	1023
2.	आंध्र प्रदेश	2704	20063
3.	अरुणाचल प्रदेश	344	2905
4.	असम	2382	15969
5.	बिहार	1184	45712
6.	चंडीगढ़	238	672
7.	छतीसगढ़	148	3893
8.	दादरा और नगर हवेली *	19	546
9.	दमन और दीव *	104	540
10.	दिल्ली	1632	6052
11.	गोवा	776	896
12.	गुजरात	1447	34240
13.	हरियाणा	574	14388
14.	हिमाचल प्रदेश	335	4942
15.	जम्मू और कश्मीर #	2348	7231
16.	झारखंड	402	4645
17.	कर्नाटक	4329	29736
18.	केरल	2427	15292
19.	लक्षद्वीप	82	422
20.	मध्य प्रदेश	964	40327
21.	महाराष्ट्र	5240	48078
22.	मणिपुर	245	2357
23.	मेघालय	875	2552
24.	मिज़ोरम	209	1997
25.	नागालैंड	570	2843
26.	ओडिशा	2606	21170
27.	पुडुचेरी	236	876
28.	पंजाब	579	15668
29.	राजस्थान	1158	29937
30.	सिक्किम	154	1213
31.	तमिलनाडु	5408	31269
32.	तेलंगाना	1572	17000
33.	त्रिपुरा	1500	1019
34.	उत्तर प्रदेश	4613	84479
35.	उत्तराखंड	1112	5491
36.	पश्चिम बंगाल	5201	41680

* दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पूर्व के दो संघ शासित प्रदेशों अर्थात दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के माध्यम से गठित अब एक संघ शासित प्रदेश है।

पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य अब दो संघ शासित प्रदेशों, अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में गठित किया गया है।

******